जगदीश चन्द्र बनाम बंशीलाल
GCMS No- 2016/00626
प्रकरण संख्या 163/2012वाद

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचौली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 163/2012 वाद
GCMS No. - 2016/00626

उनवान:– जगदीश चन्द्र पिता भूरालाल ब्राहम्ण बनाम बंशीलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण

प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र धारा 11 दी0प्र0स0

:: आदेश:: दिनांकः– 20.12.2024

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सआदत अली ने एक आवेदन पत्र धारा 11 दी0प्र0स0 का पेश कर निवेदन किया कि कि वादीगण ने यह दावा निम्बाहेड़ा की आराजी न0 1239 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा, आ० न0 1242 रकबा 1 बीघा 18 बीस्वा, आ0न0 1245 रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा, आ0न0 1255 रकबा 1 बीघा 18 बीस्वा, आ०न० 2061/1252 रकबा 1 बीघा 4 बीस्वा, एवं आ0न0 2070/1359 रकबा 18 बीस्वा, के बाबत् घोषणा आदि का कर रखा है। इन्ही आराजीयात के बाबत् वादीगण जगदीश व चान्दमल के पिता भूरा लाल उर्फ भरलाल ब्राहम्ण एवं प्रतिवादी बंशीलाल के पिता उंकारलाल के बीच एक मुकदमा इसी न्यायालय में मु0न0 199/1975 ई०रे० घोषणा बाबत चला और इसका निर्णय दिनांक 23–09–1975 को हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात के बाबत इन्ही पक्षकारों के मध्य इसी न्यायालय में मुकदमा चल कर वादग्रस्त आराजीयात के बाबत निर्णय हो चुका है। और वादीगण ने पुनः यह दावा इन्ही आराजीयाज के बाबत इसी न्यायालय में सन् 2012 में कर दिया है जो नियम विरूद्ध है, और दुबारा नही चल सकता है, दावा पूर्व न्याय सिद्धान्त से बाधित है। ऐसी स्थिती में निवेदन है कि यह दावा कानुन चलने योग्य नही है। इसे इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा का जबाब प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि कि वर्णित कृषि भूमि के घोषणा दावा प्रस्तुत करना स्वीकार है परन्तु इस चरण में वर्णित अनुसार दावे की अपील आर0ए0ए चित्तौडगढ में पेश कर रखी है यह डिक्री धोखे से ली गई है वैसे दावा रेसजुडीकेटा का बिन्दु साक्ष्य पर आधारित है जो साक्ष्य के आधार पर ही तय होगा इस बिन्दु पर पक्षकारो के अभिवचनो पर वाद विषय निर्धारित होकर गवाह सबूत लेकर निर्णय न्यायालय में निर्धारित होगा।अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता उभय की बहस सुनी गई । प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर [illegible] किए जाने का निवेदन किया । वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में [illegible] द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया प्रतिवादीगण का आवेदन पत्र धारा 11 दी0प्र0स0 दिनांक 05.06.2024 जिसे सव्यय निरस्त किये जाने निवेदन किया है। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उक्त प्रकरण जवाबदावे में नियत चल रही है तथा वकील प्रतिवादीगण की और से

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 199/1975 निर्णय दिनांक 23.09.1975 की सत्य प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है उसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विचाराधीन प्रकरण में वर्णित आराजी नम्बर समान होने से इन्ही आराजियात के सन्दर्भ में पुनः घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्णय इसी न्यायालय से दिनांक 23.09.1975 को किया जा चुका है इसलिए यह वाद यहा चलने योग्य नहीं है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 दी0प्र0स स्वीकार किया जाना तथा वादी का वाद निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 दी0प्र0स स्वीकार किया जाता है। वाद वादीगण निरस्त किया जाता है।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:37 IST
Reason: SelfAttested